

4. जलसम्पूर्ति एवं सीवरेज-

कार्य/जनता से प्राप्त शिकायतें	शिकायतें प्राप्त करने का स्थान	निस्तारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	निस्तारण समय सीमा
नये जल संयोजन/सीवर संयोजन हेतु आवेदन	जोन कार्यालय अथवा जल संस्थान	अधिशायी अभियन्ता/जलकर अभियन्ता	आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन में सलिल निरीक्षण व आगन तैयार कर आवेदक को सूचित करना तथा धनराशि जमा होने के 3 दिन के अन्दर नये संयोजन की स्वीकृति ।
-पाइप लाइन में लीकेज	तदैव	तदैव	अधिकतम 3 दिन ।
-मुख्य पाइप लाइन को ठीक करना	तदैव	तदैव	12 घंटे के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना ।
-प्रदूषित जलापूर्ति में सुधार	तदैव	तदैव	तदैव
-लो प्रेशर की जलापूर्ति में सुधार करना	तदैव	तदैव	2 दिन में कार्य प्रारम्भ करना
-सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट की मरम्मत	तदैव	तदैव	1 दिन में
-जलकर जलमूल्य संबंधी बिल का संशोधन	तदैव	तदैव	3 दिन में
-विवाह व अन्य अवसरों के लिये पानी का टैंकर	तदैव	तदैव	प्रार्थना पत्र समारोह के 7 दिन पूर्व देने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने पर नियत तिथि के प्रातःकाल ।
-पम्पिंग सिस्टम खराब होने की दशा में	तदैव	तदैव	सूचना मिलने के 3 घन्टे के अन्दर टैंकर की उपलब्धता अनुसार जलापूर्ति
-हैण्डपम्प का रीबोर	मुख्य कार्यालय	मुख्य अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता	धनराशि उपलब्ध होने एवं स्वीकृति के 3 माह के अन्दर
-हैण्डपम्प की मरम्मत	जोन कार्यालय	जलकल अभियन्ता	3 दिन में
-सीवर जाम ठीक कराया जाना	तदैव	तदैव	उसी दिन कार्य प्रारम्भ
-मैनहोल कवर बदला जाना	तदैव	तदैव	7 दिन में

5. कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) एवं करारोपण

कार्य/जनता से प्राप्त शिकायतें	शिकायतें प्राप्त करने का स्थान	निस्तारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	निस्तारण समय सीमा
1. सम्पत्ति के हस्तान्तरण भवन-स्वामी की मृत्यु हो जाने अथवा सम्पत्ति का बंटवारा हो जाने इत्यादि के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) हेतु आवेदन	मुख्य कार्यालय अथवा जोन कार्यालय	जोनल उप नगर अधिकारी / प्रभारी अधिकारी(कर) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी / आपत्तियों का निस्तारण कर समिति / उपसमिति द्वारा किया जाएगा ।	आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन में नोटिस जारी करना तथा आपत्तियां देने की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर निस्तारण
2. कपट पूर्ण अथवा बाला-बाला गये नाम परिवर्तन/म्यूटेशन के विरुद्ध शिकायत	तदैव	इस निमित्त गठित समिति / उपसमिति द्वारा आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात निस्तारित की जाएगी ।	तदैव
3. सम्पत्ति कर निर्धारण में भेजे गये नोटिस पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों का निस्तारण ।	तदैव	तदैव	तदैव